भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 264
21 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'भारत द्वारा भारत में उपचार' पहल

264. **श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:**
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री सुधीर गुप्ता:
शी श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में एक एकीकृत स्वास्थ्य नीति शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार रोगी देखभाल को व्यापक बनाने और इसमें समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए आयुष प्रणालियों को मुख्यधारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के साथ एकीकृत करने पर भी विचार कर रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार की 'भारत द्वारा भारत में उपचार' पहल को सम्पूर्ण विश्व में जबरदस्त मान्यता मिल रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पहल के पश्चात देश में विदेशों से कितने मरीज आए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति- 2017 में स्वास्थ्य परिचर्या को निवारक और प्रोत्साहक स्वरूप का बनाकर सभी उम्र के लोगों के लिए यथासंभव उच्चतम स्तर का स्वास्थ्य और आरोग्यता हासिल करने और परिणामस्वरूप किसी को भी वित्तीय कठिनाई होने दिए बिना अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। पहुंच

बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार और स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी की लागत कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस नीति में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के केंद्रीय महत्व को अहमियत दी गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सरकारी सुविधाकेंद्रों में ही या इनके आसपास आयुष उपचारों तक पहुंच की भी बात की गई है। इस नीति में आयुर्वेदिक दवाओं को मानकीकृत और मान्य करने और आयुष दवाओं के लिए एक मजबूत और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई है। देश में नीतिगत क्षेत्रों का और विस्तार करने तथा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को बढ़ाने के लिए, सरकार एक एकीकृत स्वास्थ्य दृष्टिकोण की दिशा में प्रयास करके अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर रही है। इससे क्रॉस-रेफ़रल का कार्य सरल बनेगा और उपचार की विभिन्न पद्धतियों के वास्तविक एकीकरण में सफलता मिलेगी।

आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एचडब्ल्यूसी) क्षेत्रीय स्तर पर निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, स्वास्थ्य लाभ और दर्द निवारक स्वास्थ्य परिचर्या तक फैली प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। एचडब्ल्यूसी के द्वारा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इन सेवाओं में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से आगे बढ़कर गैर-संचारी रोगों संबंधी देखभाल, उपशामक और पुनर्वास देखभाल, मुख, नेत्र और ईएनटी देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और आपात स्थिति और आघात के लिए प्रथम-स्तरीय देखभाल के साथ-साथ मुफ्त आवश्यक दवाएं और नैदानिक सेवाएं शामिल हैं। इनमें आयुष के साथ एकीकरण भी शामिल है। एनएचएम के तहत 1,60,002 कार्यशील एचडब्ल्यूसी हैं और आयुष मंत्रालय के तहत अन्य 12500 आयुष एचडब्ल्यूसी हैं जो उपयोगकर्ताओं को सार्वभौमिक और मुफ्त व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं।

मूल्य आधारित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य मंत्रालय 'भारत में और भारत द्वारा उपचार' की व्यापक थीम के तहत चिकित्सा मूल्य यात्रा और मानव संसाधन आवागमन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। रोड शो, विदेश में भारतीय मिशन का उन्मुखीकरण, सभी हितधारक मंत्रालयों, अस्पतालों, बीमा कंपनियों और एमवीटी सुविधाकर्ताओं के साथ समन्वय आदि को लेकर की गई आवश्यक कार्रवाई इन पहलों को बढ़ावा देने और अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक है।

*****